(वाद संख्या–613/17)

30.08.2019

परिवादी, जोफा देवी अनुपस्थित हैं।

प्रस्तुत मामला परिवादी के पति, राज किशोर सिंह, सेवानिवृत्त पंचायत सचिव, प्रखण्ड–डगरूआ, अनुमण्डल–बायसी, जिला–पूर्णिया के दिनांक–31.03.2016 के सेवानिवृत्ति के उपरांत सेवांत लाभ न दिये जाने तथा सेवाकाल में कालबद्ध प्रोन्नति आदि नहीं दिये जाने से संबंधित है।

परिवादी के परिवाद–पत्र पर प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से प्रतिवेदन की मांग की गयी। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा परिवादी के परिवाद–पत्र की प्रति संलग्नित कर जिला पदाधिकारी, पूर्णिया को आयोग को वांछित प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया (पृ0–8/प0), लेकिन इसके बावजूद भी जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा वांछित प्रतिवेदन आयोग को समर्पित नहीं किया गया है।

कार्यालय, परिवादी के परिवाद–पत्र (पृ0–3–1/प0) व सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–419, दिनांक–09.01.2018 (पृ0–8/प0) की प्रति संलग्न कर जिला पदाधिकारी, पूर्णिया से परिवाद–पत्र में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में दिनांक–06.01.2020 के पूर्व, प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निर्देशित किया जाय तथा उन्हें यह भी सूचित कर दिया जाय कि अगर उक्त तिथि तक वांछित प्रतिवेदन आयोग को समर्पित नहीं किया जाता है तो आयोग द्वारा उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति हेतु आदेश पारित करने हेतु वाध्य हो जाना पड़ेगा।

आज पारित आदेश की प्रति, प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेजा जाय।

परिवादी, जोफा देवी को भी अगली तिथि को आयोग के समक्ष उपस्थिति हेतु पुनः नोटिस निर्गत किया जाय।

संचिका दिनांक–06.01.2020 को उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक